अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)

ग्राम मुगालिया कोट (सूखी सेवनिया) विदिशा रोड़, भोपाल (म.प्र.)–462010

वेबसाइट :www.abvhv.edu.in ,v.kqMkd %abvhvbpl@gmail.com

क्रमांक–अबिवाहिविवि/2022/अ.के./1013 भोपाल, दिनांक 01-04-2022

अधिसूचना

सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा सत्र 2022–23 के लिए नवीन अध्ययन केन्द्र संचालन एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों के लिए पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रंमाक अबिवाहिविवि/2022/464 दिनांक 16.03.2022 को निरस्त करते हुये उसके स्थान पर निम्नानुसार नियम एवं शर्ते अधिसूचित की जाती है:–

विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र के नियम एवं शर्तें

1. उद्देश्यः–

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के स्थापित अध्ययन केन्द्र का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के विस्तार तथा प्रोन्नति के प्रयोजन राष्ट्र के बेरोजगार युवा/युवतियों को शिक्षा एवं रोजगार/स्वरोजगारों से जोड़ना है तथा अध्ययन–अध्यापन से संबंधित पाठ्यक्रमों का हिंदी माध्यम से प्रचार –प्रसार कर ऐसे पिछड़े, असहाय आदिवासी क्षेत्रों को शिक्षा के द्वारा रोजगार हेतु सही व मान्य माध्यम स्थापित कर, सामाजिक सामंजस्य व सौहार्द स्थापित करना है।

2 नियमः–

1. कोई भी कंपनी,न्यास,कोई समिति या कोई शैक्षणिक केंद्रों या संगठन जो मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, अध्ययन केन्द्रों को चलाने के लिए आवेदन कर सकेगा। विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र चलाने के लिए इच्छुक संस्था,विश्वविद्यालय द्वारा विहित किए गए प्रारूप में आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के पक्ष में केंन्द्रों से संबंधित सुसंगत जानकारी उसके सबूत एवं दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा।
2. अध्ययन केन्द्र खोलने का कार्य क्षेत्र संम्पूर्ण मध्यप्रदेश क्षेत्र होगा।
3. अध्ययन केंद्रों को अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एक समान एकेडेमिक पाठ्यक्रम चलाने हेतु अनुज्ञान नहीं किया जाएगा।
4. (i) नवीन अध्ययन केन्द्रों के संचालन के लिए आवेदन, (ii) पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र के द्वारा आगामी सत्र के लिए अध्ययन केन्द्र निरंतर संचालन करने के लिए प्रस्तुत करने वाला आवेदन (निरंतरता के लिए आवेदन),(iii) पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों के द्वारा अध्ययन केन्द्र के पता परिवर्तन करने के लिए आवेदन, (iv) पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों के द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों में संचालन के लिए निर्धारित किए गए पाठ्यक्रमों में से यदि कोई नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो ये सभी आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि के अंदर ही करना होगा। आवेदन करेन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
5. विश्वविद्यालय में प्राप्त हुए समस्त आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। यदि कोई आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा विहित किए गए मानदंडों के अनुरूप नहीं है और अपेक्षित दस्तावेजों से संबंधित नहीं है तो ऐसे आवेदन निरस्त कर दिये जायेगें।

6. विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति, अध्ययन केन्द्रों का निरीक्षण करेगी। विश्वविद्यालय, निरीक्षण समिति एवं समीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर केन्द्र संचालित करने की सहमति अनुज्ञा प्रदान करेगा।

7. अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान करने के संबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय शीघ्र ही केन्द्रों को प्रज्ञापित किया जाएगा।

8. विश्वविद्यालय द्वारा विहित मानदंड के अनुसार प्रवेश–प्रक्रिया अध्ययन केंद्रों द्वारा प्रारम्भ की जाएगी और पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएँगे।

9. विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह केन्द्रों का किसी भी समय निरीक्षण करें तथा विश्वविद्यालय विशिष्ट निरीक्षण भी करेगा, जिसका यात्रा भत्ता एवं मानदेय से संबंधित व्यय केन्द्रों द्वारा वहन किया जाएगा।

10. सत्र 2022–23 में नवीन अध्ययन केन्द्र संचालन के लिए आवेदन करने वाली समिति को विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र में संचालित किए जाने वाले पत्रोपाधि एवं स्नातकोत्तर पत्रोपाधि के 38 पाठ्यक्रमों की सूची (संलग्न परिशिष्ट 1 – विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र की अधिसूचना क्रमांक/अकादमी/अबिवाहिविवि/2022/2029, भोपाल दिनांक 28.03.2022) में से अधिकतम 10 पाठ्यक्रमों के लिए ही आवेदन करने की अनुमति होगी। इससे अधिक पाठ्यक्रम संचालन करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

11. नवीन अध्ययन केन्द्र के लिए केवल वह ही समिति आवेदन करने की पात्र होगी, जिन्हें विगत् सत्रों में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम संचालित करने वाली समितियों अथवा ऐसी समिति जिसे कम से कम एक वर्ष का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालन करने का अनुभव हो।

12. सत्र 2022–23 के लिए मध्यप्रदेश में स्थित ऐसे जिले जिनकी भौतिक सीमा के अंतर्गत जिनमें नगर निगम वाले शहर भी आते हैं; ऐसे जिलों के लिए आगामी सत्र 2022–23 में अधिकतम दो ही नवीन केन्द्र खोलने तथा अन्य सभी बकाया जिलों में अधिकतम एक ही अध्ययन केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

यदि नवीनअध्ययन केन्द्र खोलने के लिए किसी जिले के लिए निर्धारित सीमा से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो ऐसे अध्ययन केन्द्रों की वरीयता का निर्धारण निम्न मापदण्डों के आधार पर किया जाएगा–

(i) भौतिक अधोसंरचना जैसे निर्मित क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या, फर्नीचर, प्रयोगशाला, कार्यालय एवं अन्य भौतिक अधोसंरचना संबंधी सुविधाएं।

(ii) अकादमिक (शैक्षणिक) से संबंधित सुविधाएं जैसे– इंटरनेट, कैमरा,
पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, उपकरण, शिक्षकों की उपलब्धता।

(iii) समिति का वार्षिक टर्नओवर

(अ) अन्य आवश्यक सुविधाएं :–

उपरोक्तानुसार अध्ययन केन्द्रों की वरीयता निर्धारण का कार्य विश्वविद्यालय द्वारा गठित की जाने वाली समीक्षा समिति द्वारा निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन तथा समिति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के आधार पर किया जाएगा। वरीयता निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। समीक्षा समिति में अधिकतम तीन सदस्य रहेंगे और कम–से–कम दो सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

ऐसे अध्ययन केन्द्र जिन्हें निरीक्षण समिति द्वारा अध्ययन केन्द्र खोलने की अनुशंसा की जाती है लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें वरीयता क्रम में नहीं आने के कारण उन्हें अध्ययन केन्द्र संचालन की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उनके द्वारा जमा की गई आवेदन शुल्क की राशि रु. 35,000/– में से 15,000/– शुल्क काटकर शेष बकाया राशि 20,000/–रुपये वापिस की जाएगी।

उपर्युक्त के अलावा नवीन अध्ययन केन्द्रों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण संबंधी कार्यवाही के उपरांत अध्ययन केन्द्र संचालन करने के लिए निर्धारित मापदण्डों पर योग्य पाया गया हो; ऐसे आवेदन पत्रों में से अधिकतम 10 अध्ययन केन्द्र खोलने के लिए विशेष परिस्थिति में विशेष प्रकरण मानते हुए विश्वविद्यालय ऐसे प्रकरणों में अध्ययन केन्द्र खोलने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है; यह विश्वविद्यालय का स्वविवेक होगा।

13. पूर्व से अध्ययन केन्द्र संचालित करने वाली समितियों को पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा जिन पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति प्रदान की गई हैं और वह समितियाँ आगामी सत्र के लिए कोई नवीन पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करती है तो उन्हें पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों तथा नवीन आवेदित पाठ्यक्रमों की संख्या मिलाकर 10 से अधिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। यदि संख्या अधिक होती है तो समिति को पूर्व में पाठ्यक्रम संचालन करने के प्रदत्त अनुमति वाले पाठ्यक्रमों में से कौन से पाठ्यक्रम बंद करने हैं, इसकी जानकारी नवीन पाठ्यक्रम की अनुमति के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगी। नवीन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों की निरंतरता के लिये निर्धारित आवेदन पत्र में दिये गये प्रपत्र पर भरना होगा। इसके लिये पृथक से प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये 10,000/– की शुल्क जमा करनी होगा तथा इसका विवरण भी संलग्न करना होगा।

14. आगामी सत्र 2022–23 के लिये जो नवीन पाठ्यक्रम (सलंग्न परिशिष्ट–1) अध्ययन केन्द्रों के लिए प्रारंभ किए जा रहे हैं, ऐसे नवीन पाठ्यक्रम ऐसे जिले, जिनकी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ऐसे शहर जिसमें नगर निगम हैं ऐसे जिलों के लिए नवीन पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए नवीन एवं विगत सत्र 2021–22 में संचालित अध्ययन केन्द्रों को मिलाकर सिर्फ दो अध्ययन केन्द्रों में अनुमति प्रदान की जावेगी। इसी तरह ऐसे जिले जिनकी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जिसमें नगर निगम वाले शहर नहीं हैं ऐसे जिलों के लिए नवीन पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए नवीन एवं विगत सत्र 2021–22 में संचालित अध्ययन केन्द्रों को मिलाकर सिर्फ एक ही अध्ययन केन्द्र को ही नवीन पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

यदि किसी जिले के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नवीन पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति के लिए आवेदन प्राप्त होते है, तो ऐसे अध्ययन केन्द्रों की वरीयता का निर्धारण निम्न मापदण्डों के आधार पर किया जाएगा–

(i) विगत् सत्रों में विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्था/समिति अथवा ऐसी संस्था/समिति जिसे कम से कम एक वर्ष का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालन करने का अनुभव हो।

(ii) भौतिक अधोसंरचना जैसे निर्मित क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या, फर्नीचर, प्रयोगशाला कार्यालय एवं अन्य भौतिक अधोसंरचना संबंधी सुविधाएं।

(iii) अकादमिक (शैक्षणिक) से संबंधित सुविधाएं जैसे– इंटरनेट, कैमरा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, उपकरण, शिक्षकों की उपलब्धता।

(iv) वार्षिक टर्नओवर

(v) अन्य आवश्यक सुविधाएं

उपरोक्तानुसार अध्ययन केन्द्रों की वरीयता निर्धारण का कार्य विश्वविद्यालय द्वारा गठित की जाने वाली समीक्षा समिति द्वारा निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन तथा समिति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के आधार पर किया जावेगा। वरीयता निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

9. शर्तें:–

1. स्थापित केन्द्र अपने विज्ञापन में भ्रामक शब्दों जैसे "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त" "अग्रणी केन्द्रों" या सर्वोत्तम टापर केन्द्रों" का प्रयोग नहीं करेगा।
2. कोई भी स्थापित अध्ययन केंद्र उन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देगा जिसके लिए उसने विश्वविद्यालय से सम्यक् अनुज्ञा नहीं प्राप्त की है।
3. विश्वविद्यालय केंद्र प्रभारी को विद्यार्थियों के अध्ययन–अध्यापन हेतु छात्रों की संख्या के आधार पर समस्त सुविधाएँ, अर्हताधारी शिक्षकों की व्यवस्था, पाठ्यक्रम के अनुरूप भवन,भौतिक अधोसंरचना, प्रयोगशाला, इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल की व्यवस्था स्वयं अपनी ओर से करनी होगी।
4. विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र/संस्था द्वारा जहाँ पर अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उसकी समस्त अधोसंरचना/उपकरण पर अध्ययन संस्था का अधिकार होगा। यदि विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित केंद्र का संचालन बंद किया जाता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र/संस्था की समस्त अधोसंरचना/उपकरण पर केंद्र/संस्था का अधिकार होगा।
5. अध्ययन केंद्र का नाम अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय होगा तथा सेवा प्रदाता अध्ययन केंद्र को अध्ययन केंद्र कोड क्रमांक आवंटित किया जाएगा। छात्रों की शुल्क व्यवस्था भी अध्ययन केंद्र कोड क्रमांक के नाम से आवंटित की जाएगी ताकि यह ज्ञात हो सके कि किस अध्ययन केंद्र में कितने छात्र हैं एवं कितना शुल्क प्राप्त हुआ है। अध्ययन केंद्रों से पत्राचार भी कोड क्रमांक के माध्यम से किया जाएगा।
6. अध्ययन केंद्र द्वारा संचालित कराए जाने वाले समस्त नवीन पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय के अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित किया जाएगा।
7. शैक्षणेत्तर गतिविधियों को संचालित करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।
8. अध्ययन केंद्र प्रभारी को वार्षिक आय–व्यय प्राक्कलन और अंकेक्षित लेखों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
9. विद्यार्थियों से प्राप्त पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क की राशि का 75 प्रतिशत अध्ययन केंद्र के अधोसरचना एवं अध्ययन–अध्यापन पर व्यय किया जाएगातथा 25 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय के पास जमा रहेगी जिसका विश्वविद्यालय के उपयोग किया जा सकेगा। 75 प्रतिशत राशि का प्रथमतः 65 प्रतिशत राशि संचालित अध्ययन केंद्रो को प्रवेश की अंतिम तिथि के अधिकतम 3 माह की अवधि के अंदर सक्षम स्वीकृति उपरांत अध्ययन केन्द्र संचालित एवं प्रबंधित करने वाली संस्था/समिति के बैंक खाते में जमा/स्थानांतरित कर दी जाएगी। 10 प्रतिशत की राशि धरोहर राशि के रूप में विश्वविद्यालय कोष में जमा रहेगी। यह राशि सत्र समाप्ति अथवा परीक्षा सम्पन्न होने के उपरांत सक्षम स्वीकृति केपश्चात् संस्था/समिति को स्थानांतरित कर दी जाएगी।

   शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य किसी भी तरह की शुल्क जैसे नामांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा से संबंधित अन्य शुल्क विश्वविद्यालय के खाते में जमा होगी यह राशि अध्ययन केन्द्र को हस्तांतरित नहीं की जावेगी।
10. अध्ययन केन्द्र जहाँ स्थापितकिए जायेंगे वे विश्वविद्यालय के ही होंगे। अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए आवेदन करने वाली संस्था/समिति को जिस भवन में केन्द्र संचालन करना है उस भवन के मालिक से एक किरायानामा अनुबंध निष्पादित करना होगा; जिसकी अवधि एक वर्ष की होगी। पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक यह अनुबंध लागू रहेगा। इसी तरह अध्ययन केन्द्र की निरंतरता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाली समिति को भी आगामी वर्ष का किरायानामा निष्पादित करना होगा। ऐसे किराये नामे की प्रति आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना होगा।

    किरायानामा संपादित करते समय भवन मालिक का पूरा नाम एवं उनके निवास का पता होना चाहिए। किराए पर लेने वाली संस्था के पदाधिकारी का भी पूरा नाम एवं पदनाम होना चाहिए। किराया नामा में जो भवन किराए पर लिया जा रहा है उस भवन का पता भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए।

11. विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अध्ययन केंद्र का निरीक्षण किया जा सकेगा। निरीक्षण समिति के सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय एवं टीए/डीए के भुगतान अध्ययन केन्द्र के लिए आवेदन करने वाली समिति/संस्था के द्वारा ही वहन किया जाएगा। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे समीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी; जिसकी अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति प्रदान करने संबंधी निर्णय लिया जाएगा।
12. ऐसे अध्ययन केन्द्रों का पता परिवर्तन उसी शहर,गांव एवं कस्बों में करना चाहते हैं तो ऐसे अध्ययन केन्द्र संचालित करने वाली समिति को पता परिवर्तन करने के लिए आवेदन राशि रु. 25000/– के साथ विश्वविद्यालय को निर्धारित प्रपत्र में करना होगा। यह आवेदन पत्र अध्ययन केन्द्र की निरंतरता के लिये जमा किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में भरकर जमा करना होगा। इसकी शुल्क, निरंतरता शुल्क से अलग रहेगी।ये आवेदन उसी समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों के अंदर ही प्रस्तुत करने होंगे, जब संबंधित अध्ययन केन्द्र संचालित करने वाली समिति विश्वविद्यालय को आगामी सत्र में केन्द्र संचालन करने की अनुमति हेतु आवेदन करना है।

4. पाठयक्रम संचालित के मानदंड :–

1. कोई भी अध्ययन केन्द्र, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सोसाईटी, न्यास कंपनी या संगठन के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। विश्वविद्यालय, ऐसे शब्दों का प्रयोग जैसे कि "अखिल भारतीय केन्द्रों" "भारतीय केन्द्रों" "अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय" अनुज्ञात नहीं करेगा।
2. केन्द्र के प्रमुख, प्रभारी के पास स्नातकोत्तर उपाधि द्वितीय श्रेणी में होना चाहिए।
3. अध्ययन केन्द्र समस्त प्रकार के रजिस्टर, जैसे स्टॉक रजिस्टर, कम्प्यूटर, उपकरण, पुस्तकें, फर्नीचर आदि निरीक्षण के समय प्रदर्शित करेगा तथा संबंधित दस्तावेज़ों की एक प्रतिलिपि विश्वविद्यालय को भेजेगा।
4. अध्ययन केन्द्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 450 सीटों की अधिकतम संख्या तक ही विद्यार्थियों को प्रवेश देगा।
5. अध्ययन केन्द्र समस्त सुविधाओं तथा केन्द्र में उपलब्ध कम्प्यूटर का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा और सभी उपकरण अच्छी स्थिति में होना चाहिए।
6. केन्द्र से पूर्णकालिक शिक्षकों को निर्धारित संख्या में अध्यापन हेतु रखे जाएंगे; जिनकी शैक्षणिक अर्हता यू.जी.सी. मापदण्डों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता अथवा अन्य नियामक संस्था द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार हो। ऐसे शिक्षकों की सूची एवं आत्मवृत्त विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएगा।
7. अध्ययन केन्द्र को विद्यार्थियों व कर्मचारियों की उपस्थिति का रजिस्टर सुव्यवस्थित रूप से अलग से रखना होगा और निरीक्षण के समय ऐसे रजिस्टरों को प्रदर्शित करना होगा।
8. विश्वविद्यालय, समय–समय पर आवश्यक दिशा निर्देश/अनुदेश केन्द्र को जारी करेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा।
9. यदि विश्वविद्यालय मानदंडों में कोई संशोधन या परिवर्तन करता है, तो उसे केन्द्रों को सूचित किया जाएगा।
10. केन्द्र उन अनुदेशों का पालन कड़ाई से करेंगे, जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे।
11. केन्द्र यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध अधोसंरचनाओं का उपयोग केवल विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के लिए ही हो।
12. विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों को इस बात की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी कि वह किसी अन्य केन्द्र को फ्रेंचाइजी के माध्यम से शिकमी (सबलेट) पर दें। यदि यह पाया जाता है कि केन्द्र ने किसी दूसरे केन्द्र को शिकमी (सबलेट) पर दिया है तो विश्वविद्यालय उस अध्ययन केन्द्र को तत्काल प्रभाव से बंद करने में सक्षम होगा।

13. अध्ययन केन्द्र, विश्वविद्यालय की ओर से कोई प्रमाणपत्र या अंकसूची जारी नहीं करेगा।
14. अध्ययन केन्द्र, ऐसी शुल्क संरचना की व्यवस्था करेगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना के अनुसार हो और विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी एवं विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा।
15. अध्ययन केन्द्र में पंजीकृत विद्यार्थियों से निर्धारित पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त शिक्षण शुल्क, प्रयोगिक शुल्क, अन्य देय शुल्क का अंश विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से ऑनलाइन के माध्यम से सीधा प्राप्त किया जाएगा।
16. अध्ययन केन्द्रों के लिए आवेदन के साथ रु. 35,000/– का शुल्क तथा निरंतरता के लिए आवेदन करने वाले केन्द्रों से 30,000/– रूपये की राशि, आवेदन शुल्क के रूप में निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त अध्ययन केन्द्र संचालित करने वाली समिति से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा।
17. पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों में नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु शुल्क रु. 10000/– प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित की गई है और नवीन पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम 10 नवीन पाठ्यक्रमों के लिए ही आवेदन कर सकेगी। ऐसे अध्ययन केन्द्र जो पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों के पाठ्यक्रमों के अलावा नवीन सत्र के लिए कोई नवीन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करते हैं तो उनके लिए भी अधिकतम 10 पाठ्यक्रम की संख्या ही होगी। इससे अधिक पाठ्यक्रम नहीं दिए जावेंगे। यदि संख्या अधिक होती है तो समिति को पूर्व में पाठ्यक्रम संचालन करने के प्रदत्त अनुमति वाले पाठ्यक्रमों में से कौन से पाठ्यक्रम बंद करने हैं, इसकी जानकारी नवीन पाठ्यक्रम की अनुमति के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगा। यह पाठ्यक्रम निरीक्षण संबंधी समस्त कार्यवाही के आधार पर प्रदान किए जायेंगे।

5. पुस्तकालय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. अध्ययन केन्द्र के पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के विषय से संबंधित पुस्तकें होनी चाहिए।
2. प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थी पर उसी पाठ्यक्रम से संबंधित कम–से–कम 2 पुस्तकें होनी चाहिए। यदि अध्ययन केन्द्र में 450 विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, तो कम–से–कम 900 पुस्तकें अनिवार्यतः होनी चाहिए।
3. विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के 10 दिवस के अंदर अध्ययन केन्द्र में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में संबंधित विषयों की पुस्तकें क्रय करनी होगी तथा इन सभी पाठ्यपुस्तकों का पुस्तकालय की पंजी (एससेन रजिस्टर) में करनी होगी तथा एससेन रजिस्टर की सत्यापित छायाप्रति के साथ विश्वविद्यालय को अध्ययन केन्द्र के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के 15 दिवस के अंदर अनिवार्यतः जमा करनी होगी। यह जिम्मेदारी अध्ययन केन्द्र संचालन करने वाली समिति की होगी तथा उसे इस बाबत् की वचनवद्धता निरीक्षण समिति को लिखित में प्रस्तुत करनी होगी।

6. प्रवेश की पात्रता :–

1. विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निहित न्यूनतम अर्हता पूरी करना अनिवार्य है। अर्हता पूर्ण न की जाने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
2. विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्रों की सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाआइन के माध्यम से की जायेगी। प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित की गई प्रवेश प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

3. अध्ययन केन्द्र को पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के लिए 90 सीट की संख्या एवं स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के लिए 60 सीट की संख्या निधारित की गई है ताकि 150 विद्यार्थी सुचारु रूप से अध्ययन कर सके। किसी कार्यालयीन दिवस में इन अध्ययन केन्द्रों में 3 पाली(शिफ्ट) में अध्यापन संबंधी कार्य सम्पादित किया जा सकता है। इस तरह कुल 450 विद्यार्थियों की सीट संख्या निर्धारित की गई है। किसी भी स्थिति में कुल विद्यार्थियों का सकल योग 450 विद्यार्थियों से अधिक नहीं होगा।
4. कोई भी विद्यार्थी, जिसने विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लेगा। विश्वविद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी को नामांकन क्रमांक जारी करेगा। विद्यार्थी को मूल स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, आव्रजन प्रमाणपत्र तथा सत्यापित अंकसूची की छायाप्रति और सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा। किसी भी विदेशी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की अनुज्ञा के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
5. अध्ययन केन्द्र में प्रवेश देने के लिए शासन द्वारा जारी किए गए नियमों तथा मार्ग दर्शी सिद्धांतों का अनुपालन होगा। अध्ययन केन्द्र समस्त जानकारियाँ तथा प्रवेश की प्रविष्टियां विश्वविद्यालय को देगा।

7. पाठ्य–विवरण :–

1. विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों को नियमों के अनुसार सैद्धांतिक कक्षाएं, प्रायोगिक कार्य, सत्रीय कार्य आदि संचालित करेगा।
2. विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों को सभी प्रकार के अकादमिक मार्गनिर्देश देगा, जिससे कि शैक्षिक गुणवत्ता के उच्च मानदंड बनाए रखने के लिए केन्द्र समर्थ हो।
3. अध्ययन केन्द्र की प्रगति का परीक्षण समय–समय पर विश्वविद्यालय कर सकेगा।
4. विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों की उपस्थिति पंजी पर रख–रखाव, कक्षाओं की समय–सारिणी लाइब्रेरी, संकाय सूची और उनका बायोडाटा आदि की जांच कर सकेगा। विश्वविद्यालय, अध्ययन केन्द्र का श्रेणीकरण भी कर सकेगा।

8.परीक्षाएं तथा परीक्षा केन्द्रः–

1. अध्ययन केन्द्र ऐसे परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा का संचालन करेगा, जैसे कि वि.वि. अनुदेश दें।
2. विद्यार्थी परीक्षा केन्द्र का चयन विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किए गए परीक्षा केन्द्रों के अनुसार करेगा। जब विद्यार्थी ने एक परीक्षा केन्द्र का चयन कर लिया है तो परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन नहीं होगा। विद्यार्थी द्वारा भरा गया परीक्षा फार्म, अध्ययन केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय को अग्रेषित किया जाएगा।
3. विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्र का अवधारण, परीक्षा केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं तथा अधोसंरचना के आधार पर करेगा।
4. समस्त परीक्षाएं विश्वविद्यालय के नियंत्रण तथा देख–रेख में संचालित की जाएगी। परीक्षा में किसी भी अनुचित तथा अवाछनीय गतिविधियों के संबंध में निर्णय लेने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।
5. संबंधित अध्ययन केन्द्र परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थान सुनिश्चित करेगा तथा मानव शक्ति अर्थात वीक्षक आदि की व्यवस्था करेगा। इस प्रयोजन के लिए विहित की गई दर पर भुगतान किया जाएगा।
6. अध्ययन केन्द्र यह सुनिश्चित करेगा, कि परीक्षा का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई परीक्षा नियमावली के अनुसार ही हो।

7. शैक्षणिक सत्र के दौरान अध्ययन केन्द्र संचालन में यदि कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, तो अध्ययन केन्द्र विश्वविद्यालय की अनुज्ञा प्राप्त कर, एक अध्ययन केन्द्र से दूसरे अध्ययन केन्द्र या विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का स्थानांतरण कर सकेगा।

9. विविध उपबंधः–

1. समस्त पत्र व्यवहार विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम से किए जाएंगे।
2. किसी पाठयक्रम में प्रवेश दिए गए सभी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में नियमों/मानदंडों की समुचित जानकारी दी जाएगी।
3. विश्वविद्यालय के समस्त नियमों का अनुपालन अध्ययन केन्द्रों द्वारा ईमानदारी से किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद या शिकायत के संबंध में विश्वविद्यलाय का विनिश्चय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
4. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त जानकारी/सूचनाएँ, अनुसूची, समय–सारणी परिपत्र तथा परीक्षा परिणाम अपलोड किए जाएंगे।
5. विश्वविद्यालय का कुलसचिव लोकसूचना अधिकारी होगा तथा कुलपति अपीली अधिकारी होगा।
6. किसी वैयक्तिक/संस्थागत विवाद की दशा मेंविश्वविद्यालय/कुलपति या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी प्रतिनिधि का विनिश्चय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
7. किसी भी न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकारी भोपाल होगा।

उपरोक्त नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित किये जा रहे हैं एवं किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश में दिये गये प्रावधान मान्य होंगे।

सलंग्न परिशिष्ट 1 – विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र की अधिसूचना क्रमांक/अकादमी/अबिवाहिविवि/2022/2029, भोपाल, दिनांक 28.03.2022 के द्वारा अधिसूचित पुराने एवं नवीन पाठ्यक्रम की सूची।

कुलसचिव

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
ग्राम–मुगालिया कोट, (सूखी सेवनिया) विदिशा रोड, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष : 0755-2558606, वेब स्थल : www.abvhv.edu.in

क्रमांक/अकादमी/अबिवाहिविवि/2022/2029 भोपाल, दिनांक 28/03/22

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों पर शैक्षणिक सत्र 2022–23 में निम्नानुसार स्नातकोत्तर पत्रोपाधि एवं पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (एक वर्षीय) संचालित किया जाना सुनिश्चित किया जाता है।

क्र	पाठ्यक्रम का नाम	पत्रोपाधि / स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
1.	फूड प्रोडक्शन	पत्रोपाधि
2.	हाउस कीपिंग	पत्रोपाधि
3.	फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन	पत्रोपाधि
4.	फायर सेफ्टी एवं हर्जाड मैनजमेंट	पत्रोपाधि
5.	बेकरी एवं कन्फेक्शनरी	पत्रोपाधि
6.	इण्डिस्ट्रयल सेफ्टी	पत्रोपाधि
7.	हॉस्पिटल मैनजमेंट	पत्रोपाधि
8.	फूड एण्ड बेवरेज सर्विस	पत्रोपाधि
9.	होटल मैनजमेंट	पत्रोपाधि
10.	होटल मैनेजमेंट एण्ड टूरिज्म	स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
11.	डिजास्टर मैनेजमेंट	स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
12.	इण्डस्ट्रियल सेफ्टी	स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
13.	प्राथमिक चिकित्सा उपचार	पत्रोपाधि
14.	प्राकृतिक फार्मा	पत्रोपाधि
15.	आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण	पत्रोपाधि
16.	आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण	स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
17.	खेलों में चोट का निदान एवं प्रबंधन	स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
18.	खेलों में चोट का निदान एवं प्रबंधन	पत्रोपाधि
19.	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	पत्रोपाधि
20.	आहरिकी एवं जनस्वास्थ्य पोषण	स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
21.	फैशन अभिकल्पन (फैशन डिजाइनिंग)	पत्रोपाधि
22.	गारमेंट कन्स्ट्रक्शन एण्ड फैशन डिजाइनिंग	स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
23.	हिंदी शीघ्रलेखन	पत्रोपाधि
24.	मत्स्य एवं मत्स्यकी	पत्रोपाधि
25.	मशरूम उत्पादन तकनीकी एवं प्रबंधन	पत्रोपाधि
26.	जैविक कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन	पत्रोपाधि
27.	संगणक अनुप्रयोग (डीसीए)	पत्रोपाधि
28.	लोक संगीत	पत्रोपाधि

29.	सुगम संगीत	पत्रोपाधि
30.	नाट्यशास्त्र एवं रंगमंच	पत्रोपाधि
31.	जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन	स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
32.	सायबर कानून (सेमेस्टर आधारित)	स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
33.	पर्यावरण विधि (सेमेस्टर आधारित)	स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
34.	संगणक अनुप्रयोग (पीजीडीसीए)	स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
35.	श्री रामचरित मानस में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
नवीन पाठ्यक्रम :-		
36.	अनुवाद	स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
37.	वैदिक गणित	पत्रोपाधि
38.	इलेक्ट्रो होम्योपैथी	पत्रोपाधि

आदेशानुसार,

(यशवंत सिंह पटेल)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक/अकादमी/अबिवाहिंविवि/2022/9030 भोपाल, दिनांक 28/3/22

प्रतिलिपिः

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रभारी अबिवाहिंविवि, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, अबिवाहिंविवि, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी अकादमी/स्थापना/गोपनीय/परीक्षा/निदेशक,अध्ययन केंद्र अबिवाहिंविवि, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, समस्त अध्ययन केंद्र की ओर सूचनार्थ।
5. लेखा अधिकारी, अबिवाहिंविवि, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. आईसीटी/वेबसाइट प्रभारी, अबिवाहिंविवि, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. माननीय कुलपतिजी के निजी सचिव के माध्यम से कुलपतिजी को सूचनार्थ।
8. कुलसचिव के निजी सचिव के माध्यम से कुलसचिवजी को सूचनार्थ।
9. आदेश पुस्तिका।
10. सूचना पटल।

कुलसचिव